न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 115/2024 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

दि नैनीताल बैंक लिमिटेड, शाखा : बनीपार्क, जयपुर

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **मैसर्स आनन्द कुमार हुड्डा जरिये प्रोपरईटर आनन्द कुमार हुड्डा पुत्र चुन्नी लाल हुड्डा** पंजीकृत कार्यालय का पता–एच.ई. 602–एल, हनुमान नगर एक्सटेंशन, विश्व मीरा मार्ग, संस्कार स्कूल के पास, सिरसी रोड, जयपुर
2. **आनन्द कुमार हुड्डा पुत्र चुन्नी लाल हुड्डा** पता–एच.ई. 602–एल, हनुमान नगर एक्सटेंशन, विश्व मीरा मार्ग, संस्कार स्कूल के पास, सिरसी रोड, जयपुर
3. **सुमन देवी हुड्डा पत्नी आनन्द कुमार हुड्डा** पता–एच.ई. 602–एल, हनुमान नगर एक्सटेंशन, विश्व मीरा मार्ग, संस्कार स्कूल के पास, सिरसी रोड, जयपुर
4. **ताराचन्द पुनिया पुत्र भगवान सिंह** पता–बी–1, गंगा सागर कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर (राज.)

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

दिनांकः– 29 जनवरी, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्रतिनिधि **श्री राजकुमार दीक्षीत** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः **मैसर्स आनन्द कुमार हुड्डा जरिये**

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

प्रोपरईटर आनन्द कुमार हुड्डा पुत्र चुन्नी लाल हुड्डा, आनन्द कुमार हुड्डा पुत्र चुन्नी लाल हुड्डा, सुमन देवी हुड्डा पत्नी आनन्द कुमार हुड्डा एवं **ताराचन्द पुनिया पुत्र भगवान सिंह** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **आनन्द कुमार हुड्डा** के स्वामित्व की बंधक सम्पति **आवासीय मकान पट्टा नं. 24, ग्राम गांगियासर, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 2654 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में राजकीय सीनीयर महाविद्यालय, पश्चिम दिशा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, उत्तर दिशा में रोड एवं दक्षिण दिशा में मनसाराम और अन्य का मकान है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹87,00,000/– (अक्षरे रूपये सत्तासी लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। प्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **01.08.2022** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **01.08.2022** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) एवं समाचार पत्र की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः **मैसर्स आनन्द कुमार हुड्डा जरिये प्रोपरईटर आनन्द कुमार हुड्डा पुत्र चुन्नी लाल हुड्डा, आनन्द कुमार हुड्डा पुत्र चुन्नी लाल हुड्डा, सुमन देवी हुड्डा पत्नी आनन्द कुमार हुड्डा** एवं **ताराचन्द पुनिया पुत्र भगवान सिंह** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **आनन्द कुमार हुड्डा** के स्वामित्व की बंधक सम्पति **आवासीय मकान पट्टा नं. 24, ग्राम गांगियासर, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 2654 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में राजकीय सीनीयर महाविद्यालय, पश्चिम दिशा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, उत्तर दिशा में रोड एवं दक्षिण दिशा में मनसाराम और अन्य का मकान है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

6. आदेश आज दिनांक **29 जनवरी, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर